प्रेस नोटः- जनपद – रामपुर दिनांक- 26.08.2023

FB- Rampur Police Twitter- @rampurpolice

आज दिनांक 26.08.2023 को क्षेत्राधिकारी लाइन महोदय/नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 107 के अन्तर्गत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा/समवन्य बैठक रिजर्व पुलिस लाइन जनपद रामपुर के सभागार कक्ष मे आहुत की गयी । जिसमें प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार, उप निरीक्षक शारदा बक्श ,मुख्य आरक्षी 69 अमित कुमार थाना AHTU / SJPU , तथा महिला सेल में नियुक्त अधिकारी /कर्मचारी मौजूद रहे व समस्त थानो में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ सहायक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व सी0डब्लू0सी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, वन स्टाफ सेन्टर तथा जन साहस केंद्र (एनजीओ) के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक मे मुख्य बिन्दु बालश्रम, भिक्षावृत्ति की रोक थाम, व पाक्सो एक्ट के मामलों में आरोप पत्र प्रेषित करते समय फार्म A तथा B को भरने के दिशा निर्देशो का पालन आदि के सम्बंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, साथ ही साथ जनपद मे गुमशुदा बच्चों के पंजीकृत व लंबित मामलो व पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगो पर चर्चा व जेजे एक्ट से सम्बंधित आदेश निर्देश एवं जागरुकता के अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया ।